विषय-सूची

- *मॉडल हल प्रश्न-पत्र*
- *पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्र—हल सहित*

खण्ड–I

❑ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 1–16

❑ सामान्य ज्ञान 1–48

खण्ड–II

❑ भाषा 1–68

— अपठित 2
— अनेक शब्दों (वाक्य या वाक्यांश) की जगह एक शब्द का प्रयोग 5
— वाक्य शुद्धि 7
— अवतरण और रचयिता 17
— रचना और रचयिता 17
— शुद्ध वर्तनी के शब्दों के शुद्ध रूप 18
— तत्सम शब्दों के तद्भव रूप.................. 19
— उपयुक्त शब्द का चयन 20
— शब्द के सही अर्थ का चयन 21
— मुहावरे और लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें 22
— पर्यायवाची शब्द 30
— विलोम शब्द 33
— शब्द-शुद्धि 35
— रिक्त स्थानों की पूर्ति............................ 35
— समास.. 36
— संधि 37
— उपसर्ग.. 38
— प्रत्यय 39
— रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द......... 40
— पिंगल (छंद) परिचय 41
— अलंकार 48
— रस विवेचन.. 63

खण्ड–III

❑ सामान्य अभिरुचि परीक्षण......................... 1–64

— दिशा सम्बन्धी परीक्षा............................ 2
— रिश्ता सम्बन्धी परीक्षा 4
— समय सम्बन्धी परीक्षा 5
— अक्षर सम्बन्धी परीक्षा 6
— सम्बन्ध अथवा सादृश्य परीक्षा 8
— क्रम परीक्षा.. 11
— वैन आकृति सम्बन्धी परीक्षा 14
— तर्क 17
— वर्गीकरण 21
— सांकेतिक भाषा 23
— शब्दों का व्यवस्थित क्रम....................... 26
— बैठने का क्रम 29
— कलैण्डर तथा घड़ी सम्बन्धी प्रश्न........... 32
— दर्पण-प्रतिबिम्ब सम्बन्धी प्रश्न 33
— पासा व घन सम्बन्धी प्रश्न..................... 35
— दी गई आकृति में से त्रिभुज एवं आयत आदि की संख्या ज्ञात करना.................. 38
— आकृति को पूरा करना 40
— विविध प्रश्नावली 44
— उत्तर व्याख्या सहित............................ 46

खण्ड–IV

❑ विज्ञान वर्ग 1–123

— भौतिक विज्ञान 1–28
— रसायन विज्ञान................................ 29–56
— जीव विज्ञान.................................... 57–78
— गणित 79–123

सामान्य जानकारी

● शैक्षिक अर्हता

बी. एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत् है–

1. 'विज्ञान/सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि. बी.ई. एवं बी.टेक (अभियांत्रिकी) में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपर्युक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं.
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी.ई. एवं बी.टेक. में स्नातक उपाधि अथवा उपर्युक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं.

● प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

प्रवेश परीक्षा के प्रश्न-पत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटे जाएंगे. प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे–

प्रश्न-पत्र–प्रथम

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य ज्ञान	50	100	200	2 घण्टे
ब	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी में से कोई भी)	50	100		

खण्ड 'अ' सभी के लिए अनिवार्य है. खण्ड 'ब' भाषा से सम्बन्धित होगा. इस खण्ड में हिन्दी एवं अंग्रेजी के पृथक्-पृथक् भाग होंगे. इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करने होंगे.

प्रश्न-पत्र–द्वितीय

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य अभिरुचि परीक्षण (General Aptitude Test)	50	100	200	2 घण्टे
ब	विषय योग्यता (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि)	50	100		

खण्ड 'अ' सभी के लिए अनिवार्य है. खण्ड 'ब' में 4 विषय वर्ग (कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि) होंगे. अभ्यर्थियों को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरा है.

● आरक्षण

बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 21%, 2% तथा 27% एवं 10% की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/ शासनादेश अनुसार देय होगा.

क्षैतिज (Horizontal)—शारीरिक रूप से दिव्यांग (न्यूनतम 40% विकलांगता)/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 5% आरक्षण देय होगा. इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुए भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो. यह प्रमाण-पत्र आवश्यकतानुसार माँगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के समुदाय का लाभ अनुमन्य है. आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पास, शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना अनिवार्य है. **अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे. विवाहित महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए.**

अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अधिकतम 5% स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा.

नेत्रहीन अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक (Writer) लाने की सुविधा अनुमन्य है. श्रुतिलेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 अथवा इसके समकक्ष से अधिक न हो. इस हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा से एक दिन पूर्व केन्द्राध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा.